न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –367 / 2023
अनवान : –

1. राजेराम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. बुधराम पुत्र मुलाराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री बुधराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. उम्मेद पुत्र माता मन्जु पत्नी श्रवण जाति नायक निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी।
5. अंकित उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक दादी मिन्दो देवी पत्नी बिरबलराम जाति नायक निवासी मसीतावाली टिब्बी।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 14/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 112 / 99 की कुल 2.6300 हैक्ट भूमि में से 1 / 5 हिस्सा, रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 20 / 18 की कुल 5.3305 हैक्ट भूमि में से 5603 / 31983 हिस्सा तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 19 / 19 की कुल 5.2860 हैक्ट में से 1 / 3 हिस्सा एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 84 / 71 की कुल 6.7910 हैक्ट भूमि में से 2108 / 6791 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 ने अकेले ने अपने नाम कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अनुचित तौर से दर्ज करवा ली है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण स0 2 ता 5 का उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी स0 1 के साथ हक हिस्सा है।

वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 112 / 99 की कुल 2.6300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 20 / 18 की कुल 5.3305 हैक्ट भूमि में से 5603 / 31983 हिस्सा [...] रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 19 / 19 की कुल 5.2860 हैक्ट [...] रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 84 / 71 की कुल 6.7910 हैक्ट भूमि में से 2108 / 6791 [...] भूमि प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:20:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे। प्रतिवादी स0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दिया हैं। वादी प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर उपरोक्तानुसार बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीग स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर निवेदन किया की रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 112/99 की कुल 2.6300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 20/18 की कुल 5.3305 हैक्ट भूमि में से 5603/31983 हिस्सा तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 19/19 की कुल 5.2860 हैक्ट में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 84/71 की कुल 6.7910 हैक्ट भूमि में से 2108/6791 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 5 का 1/5 हिस्सा भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार रहेगा तथा वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगे। प्रतिवादी स0 3 ता 5 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दिया हैं। वादी, प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन करवाकर उपरोक्तानुसार बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 112/99 की कुल 2.6300 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा, रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 20/18 की कुल 5.3305 हैक्ट भूमि में से 5603/31983 हिस्सा तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 19/19 की कुल 5.2860 हैक्ट में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 84/71 की कुल 6.7910 हैक्ट भूमि में से 2108/6791 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:20:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 20/18 की कुल 5.3305 हैक्ट भूमि में से 5603/31983 हिस्सा तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 19/19 की कुल 5.2860 हैक्ट में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 84/71 की कुल 6.7910 हैक्ट भूमि में से 2108/6791 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त सभी खातो में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खातों की समस्त वाद भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है एवं शेष भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 112/99 की कुल 2.6300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:20:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –367 / 2023

अनवान : –

1. राजेराम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. बुधराम पुत्र मुलाराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
3. सुनीता पुत्री बुधराम जाति नायक निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
4. उम्मेद पुत्र माता मन्जु पत्नी श्रवण जाति नायक निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी।
5. अंकित उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये संरक्षक दादी मिन्दो देवी पत्नी बिरबलराम जाति नायक निवासी मसीतावाली टिब्बी।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 367 सन 2023 निर्णय दिनांक 14/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 20/18 की कुल 5.3305 हैक्ट भूमि में से 5603/31983 हिस्सा तथा रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 19/19 की कुल 5.2860 हैक्ट में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 84/71 की कुल 6.7910 हैक्ट भूमि में से 2108/6791 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त सभी खातो में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त खातों की समस्त वाद भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी स0 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जताा है एवं शेष भूमि का वादी एवं प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के खाता स0 112/99 की कुल 2.6300 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:20:05 IST
Reason: SelfAttested